

अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक-2515007890103-20

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा०/182/2016-1/515/2015

लखनऊ: दिनांक ३१ मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 83 आयोजनागत मद में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य स्तर से कमशः केन्द्रांश 2735.91 लाख व राज्यांश ₹ 0 1823.94 लाख इस प्रकार कुल ₹ 0 4559.85 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 12/2016/889/33-3-2016-100(17)/2015 दिनांक 31 मार्च, 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानिक धनराशि ₹ 0 89237.25 लाख के सापेक्ष अपेशीष धनराशि ₹ 0 65279.313 लाख में से केन्द्रांश ₹ 0 2735.91 लाख व राज्यांश 1823.94 लाख इस प्रकार कुल ₹ 0 4559.85 लाख (पैतालिस करोड़ उनसठ लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी०-२/2015/बी०-१-९२५/दस-२०१५-२३१/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5- भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ०प्र० स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस०एस०एम०) के नाम से खोले गये खाता संख्या-521302010060034 - आई०एफ०एस०सी० कोड यू०बी०आई०एन०-0552135 में जमा किया जायेगा।

6- भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

7- उक्त धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

कृ०प०उ०

8— उक्त मर्दों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या— 83 के लेखार्थीर्थ के "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.754+रा. 25/के.+रा.)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायगा।

9— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए-934/दस-2008—मिति-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-13 पर दिनांक 15 फरवरी, 2016 तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।


11— उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय—समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

12— उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदाती होगे।

13— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-114 पर अंकित है।

संलग्न:—उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1/शा0/192/1/2016 उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— बजट प्रकोष्ठ / कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7— उप निदेशक(प०)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के प्रेषित कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.02.2016 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को राज्यांश की वितरित की जाने वाली धनराशि की जनपदवार कॉट की एक प्रति लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तत्काल अग्रेतर कार्यवाही करें।
- 8— एस0पी0एम0य० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

—
(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-31/03/2016

प्रेषण संख्या:- 1/2776/192/15-1/515/15

आवंटन आदेश संख्या:- 003-515-2015

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाधिकारी/लेखाधिकारीषक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

03 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ (धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान श्रेणी	वर्तमान प्रगामी	20-सहायता अनुदान -सामान्य (ग्रेर वैलन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र० , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	वर्तमान प्रगामी	455985000 2851778700	455985000 2851778700
	योग	वर्तमान प्रगामी	वर्तमान प्रगामी	455985000 2851778700	455985000 2851778700

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):-

रूपया पैंतालीस करोड़ उनसठ लाख पंचासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो अरब पंचासी करोड़ सत्रह लाख अठहत्तर हजार सात सौ



(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी